भोलानाथ

बनाम

मोनिका(डी) एल.आर.एस के माध्यम से और ए.एन.आर

24 सितम्बर, 2007

[एस.बी.सिन्हा और एच.एस.बेदी, जे.जे]

मध्यस्थताः-

सहकारी समिति-भूखंडों का आवंटन-मामला मध्यस्थता के लिए भेजा गया-मध्यस्थ ने याचिकाकर्ता को भूखंड संख्या 6 के आवंटन का निर्देश दिया। गलती से भूखंड संख्या 66 का विक्रय पत्र याचिकाकर्ता के पक्ष में निष्पादित हुआ एक अन्य विवाद में, भूखंड संख्या 66 मध्यस्थ द्वारा प्रतिपक्षी को आवंटित। निष्पादन आवेदन प्रतिपक्षी द्वारा निष्पादन के लिए उसके पक्ष में प्लॉट नंबर 66 के संबंध में बिक्री विलेख-याचिकाकर्ता चुनौती दे रहा है कि याचिका पर प्रतिपक्षी द्वारा दायर निष्पादन आवेदन को पोषित कर रहा है। लिस पेंडेन्स- अभिनिर्धारितः प्लॉट नंबर 6 को केवल याचिकाकर्ता को आवंटित करने का निर्देश दिया गया था और प्लॉट नंबर 66 के संबंध में बिक्री विलेख गलती से निष्पादित किया गया था-याचिकाकर्ता इसका लाभ नहीं उठा सकता है। याचिकाकर्ता के लिए उपाय प्रभावी करने के लिए उचित कार्यवाही करना होगा इसके लिए मध्यस्थ

द्वारा उसके पक्ष में पारित निर्णय- पंचाट का निष्पादन-लिस पेंडेन्स का सिद्धांत।

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकारः सिविल अपील संख्या 4538/2007

इलाहाबाद उच्च न्यायालय के निर्णय एवं आदेश दिनांक 10.04.2007 से 1987 के सिविल रिवीजन नंबर 487.

प्रशांत कुमार और जोसेफ पुक्कट (मैसर्स एपी एंड जे चैंबर्स के लिए) अपीलकर्ता के लिए।

बृजभूषण उत्तरदाताओं के लिए

न्यायालय द्वारा निम्नलिखित आदेश दिया गया।

आदेश

अनुमति प्रदान की गई।

दोनों पक्षों के बीच विवाद प्लॉट नंबर 66 नापजोख को लेकर है।

दोनों पक्षों के बीच विवाद जवाहर नगर एक्सटेंशन कॉलोनी, मौजा भदेनी परगना देहात, शहर वाराणसी में स्थित भूखंड संख्या 66, 45 फीट ग 80 फीट कुल क्षेत्रफल 3600 वर्गफीट से संबंधित है। चूंकि याचिकाकर्ता और एक सहकारी समिति के बीच विवाद उत्पन्न हुआ, इसलिए इसे मध्यस्थता के लिए भेजा गया। वर्ष 1981 में याचिकाकर्ता के पक्ष में एक पंचाट पारित किया गया। मध्यस्थ ने प्लॉट नंबर 6 का आवंटन उनके पक्ष

में करने का निर्देश दिया। हालांकि, उक्त भूखंड को 66 (प्लॉट संख्या 6 के बजाय) मानते हुए सहकारी समिति द्वारा भूखंड संख्या 66 के लिए याचिकाकर्ता के पक्ष में एक विक्रय पत्र निष्पादित किया गया था। प्रतिपक्षी और सहकारी समिति के बीच एक और विवाद उत्पन्न हुआ जो एक भूखंड का आवंटन उसके पक्ष में करने के संबंध में था। प्रतिपक्षी के पक्ष में दिए गए फैसले में, यह निर्देश दिया गया कि 3 भूखंडों में से कोई भी, अर्थात् भूखंड संख्या 66, 91 या 15 उसके पक्ष में आवंटित किये जा सकते हैं। चूंकि सहकारी समिति के अन्य सदस्यों को आवंटित होने के कारण भूखंड संख्या 91 और 15 उपलब्ध नहीं थे। प्रतिपक्षी ने उक्त भूखंड संख्या 66 के आवंटन और उसके पक्ष में बिक्री विलेख के निष्पादन के लिए एक निष्पादन आवेदन दायर किया। इसके संबंध में याचिकाकर्ता द्वारा यहां दायर की गई आपत्ति खारिज कर दी गई है। इसके खिलाफ दायर पुनरीक्षण याचिका भी खारिज कर दी गई है।

निष्पादन प्राधिकारी के समक्ष विचार के लिए एकमात्र प्रश्न यह था कि क्या इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि उक्त भूखंड संख्या 66 के संबंध में याचिकाकर्ता के पक्ष में बिक्री का एक विलेख निष्पादित किया गया है, निष्पादित याचिका दायर की गई है। प्रतिपक्षी के कहने पर विचारणीय था।

याचिकाकर्ता ने यह तर्क देने के लिए लिस पेंडेन्स के सिद्धांत पर भरोसा करने की मांग की कि उक्त निष्पादन आवेदन पोषण योग्य नहीं था। हमारे सामने मूल पंचाटों की प्रतियां अवलोकनार्थ प्रस्तुत की गई हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि प्लॉट नंबर 6 को केवल याचिकाकर्ता के पक्ष में आवंटित करने का निर्देश दिया गया था। यदि उक्त अवार्ड के निष्पादन में प्लॉट नंबर 66 के संबंध में विक्रय विलेख निष्पादित किया गया है, तो यह स्पष्ट रूप से गलती से किया गया था और इस प्रकार याचिकाकर्ता इसका कोई लाभ नहीं ले सकता है। इसलिए याचिकाकर्ता का उपाय मध्यस्थ द्वारा उसके पक्ष में पारित फैसले को प्रभावी करने के लिए उचित कार्यवाही शुरू करना होगा। अपील में कोई दम नहीं है, इसलिए खारिज की जाती है।

कोई लागत नहीं।

अपील खारिज।

यह अनुवाद आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टूल 'सुवास' के जरिए अनुवादक न्यायिक अधिकारी संयोगिता गहलोत, आर.जे.एस. द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण : यह निर्णय पक्षकार को उसकी भाषा में समझाने के लिए सीमित उपयोग के लिए स्थानीय भाषा में अनुवादित किया गया है और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है। सभी व्यावहारिक और आधिकारिक उद्देश्यों के लिए, निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य से भी अंग्रेजी संस्करण ही मान्य होगा।